



Court Case No - 349/23.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फाइल सं. NCST/DEV-74/JH/6/2021-RO-RNC (ESDW)

सेवा में,

सुश्री माधवी मिश्रा,
उपायुक्त,
जिला रामगढ़,
डीसी ऑफिस, छत्तारमांडु,
रामगढ़ - 525101 झारखण्ड
ई मेल: dc-ramgarh@gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 22.02.2023 को 03:00 बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. मौजा बोंगावार, थाना-माण्डू, जिला रामगढ़ स्थित अनुसूचित जनजाति की जमीन के थाना नं- 153, खाता नं 192, प्लॉट नं 1560 के रकवा- 57 डी० एवं प्लॉट नं 1563 के रकवा- 58 डी० को मिलाकर कुल रकवा 1.15 एकड़ भूमि को वन प्रमण्डल, राँची रोड, मरार, रामगढ़ द्वारा अजबरन अधिग्रहण किये जाने और उक्त भूमि को वापस दिलाने के सम्बन्ध में श्री अरुण मुण्डा, मौजा बोंगावार, पोस्ट- भरेचनगर (सांडी), जिला-रामगढ़, झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन के सन्दर्भ में।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 04.01.2022.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 15, फरवरी, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003